भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 808

जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है।

.....

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

808. श्री संजय काका पाटील:

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) किसानों विशेषकर वे किसान जो सिंचाई सुविधाएं प्राप्त करने में असफल हैं कि मानसून पर निर्भरता कम करने में सफल रही है विशेषरूप से यह देखते हुए कि देश में कुल फसल क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 34.5 है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का किसानों द्वारा सिंचाई किए जाने वाले ड्रिप और छिड़काव उपस्करों पर वर्तमान 12 प्रतिशत जीएसटी को कम करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने छोटे किसानों के लिए नवोन्मेषी और सस्ती सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं विकसित करने के लिए कोई शोध आरम्भ किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरुआत वर्ष 2015-16 के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत में जल की प्रत्यक्ष पहुँच में वृद्धि करना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना आदि है।

पीएमकेएसवाई एक व्यापक स्कीम है, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किए जा रहे दो प्रमुख घटक नामतः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) शामिल हैं। एचकेकेपी में चार उप-घटक शामिल हैं, जिनमें कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) और भूजल (जीडब्ल्यू) विकास घटक शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई में वाटरशेड विकास (डब्ल्यूडी) घटक भी शामिल है, जिसका कार्यान्वयन भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-22 की अवधि के दौरान, पीएमकेएसवाई के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीओए एवं एफडब्ल्यू) द्वारा प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक का कार्यान्वयन भी किया जा रहा था। तथापि, तत्पश्चात् राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक भाग के रूप में इसका कार्यान्वयन डीओए एवं एफडब्ल्यू द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष 2016-2023 के दौरान पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के माध्यम से सृजित सिंचाई क्षमता, जिससे मानसून पर निर्भरता कम हुई, का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

स्कीम	**वर्ष 2016-23 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में)**
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी सीएडी एवं डब्ल्यूएम के कार्यान्वयन के साथ	2,536.05
पीएमकेएसवाई- एचकेकेपी- एसएमआई और जल निकायों की आरआरआर	366.29
पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी - जीडब्ल्यू विकास	87.24
पीएमकेएसवाई- प्रति बूंद अधिक फसल	7,274.75
पीएमकेएसवाई-वाटरशेड विकास	1,264.74
कुल	**11,529.07**

(ग): जी, नहीं।

(घ): सितंबर, 2021 में आयोजित जीएसटी परिषद की 45 वीं बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई थी। इस विषय पर परिषद का विचार था कि कृषि क्षेत्र के सभी कच्चे माल पर पूर्ण छूट को लागू करना मुश्किल होगा और इससे कर चोरी का जोखिम होगा। यह भी मत प्रकट किया गया कि सभी प्रकार के कृषि इनपुट्स को इस तरह की छूट देने से ड्यूटी संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और इन वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए धन अवरुद्ध हो जाएगा। तदनुसार, जीएसटी परिषद द्वारा किसानों द्वारा सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रिप और स्प्रिंकलर उपकरणों के लिए जीएसटी दरों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की सिफारिश की गई है।

(ङ) और (च): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के माध्यम से नवीन और लागत प्रभावी सिंचाई प्रणालियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्य शुरू किया गया है। इस प्रकार की गई कुछ पहलें नीचे दी गई हैं:-

- देश के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र में छोटी भूमि आकारों (अर्थात, 200 - 500 वर्ग मीटर का भूमि क्षेत्र) के लिए कम लागत वाली गुरुत्वाकर्षण-पोषित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली विकसित की गई है।
- उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों क्षेत्र में, एक कम लागत वाली बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का विकास किया गया है। इसने पारंपरिक सतही सिंचाई प्रणाली की तुलना में बेहतर जल उत्पादकता और बेहतर लाभ-लागत अनुपात का प्रदर्शन किया है।
- उत्तराखंड में, पहाड़ी/ऊबड़-खाबड़ इलाकों में कीवी फलों की खेती को सुविधाजनक बनाने के लिए छोटी जल संचयन संरचनाओं पर आधारित सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का विकास किया गया है।
- महाराष्ट्र के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में फूलों की खेती के लिए एक कम दबाव ड्रिप सिंचाई प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें जल-कुंड नामक पारंपरिक जल निकायों में संग्रहीत जल का उपयोग किया गया है।

*****